न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारीः— श्री चावण्डदान चारण, आरएएस

अपील सं. 172/2016/डिक्री

पंजीयन दिनांक 16—06—2016

1. हरलाल पिता कालू जी जाति कुमावत निवासी रूघनाथपुरा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
2. भैरूलाल पिता हरलाल जी जाति कुमावत निवासी रूघनाथपुरा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़

—अपीलान्टस

बनाम

1. हंगामी पुत्री हरलाल जी पत्नि शंकरलाल जी जाति कुमावत आयु वयस्क निवासी रूघनाथपुरा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ हाल मुकाम राजगढ़ तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़
2. गुलाबी पुत्री हरलाल जी पत्नि बालू जी जाति कुमावत निवासी रूघनाथपुरा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ हाल मुकाम लोठियाना तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा
3. नारायणी पत्नि स्व0 किशनलाल जी जाति कुमावत निवासी रूघनाथपुरा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
4. भूमिधारी तहसीलदार गंगरार जिला चित्तौड़गढ़

—रेस्पोडेन्टस्

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि.—1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी, गंगरार
दिनांक 01.06.2016 प्रकरण सं. 96/2015

उपस्थित(वक्त बहस)—1. श्री छोगालाल जाट— अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री रतनलाल जाट— अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या—3
3. श्री राजकीय अभिभाषक—रेस्पोंडेण्ट संख्या—4

निर्णय **दिनांक 01.02. 2021**

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने रा0का0अधि0 1955 की धारा 88,89,188 के तहत प्रतिवादीगण के विरूद्व वादपत्र उपखण्ड अधिकारी गंगरार में इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा रूघनाथपुरा व मौजा बांदनवाडा की आराजी नम्बर 10 रकबा 1.15 है0 व मौजा बांगनवाडा में स्थित आराजी संख्या 252,255,256,257,258,258/518,258/519,258/520,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,276,278 मी. कुल किता 21 कुल रकबा 5.01 है0 के संबंध में प्रस्तुत किया व वादपत्र में सजरा खानदान प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त आराजियात में प्रत्येक वादी का परिशिष्ट अ वाली आराजियात में 1/5 व परिशिष्ठ ब वाली आराजियात में 1/10 हक व हिस्सा निहित है उसी अनुसार रेस्पोडेन्ट वादी का वादपत्र डिकी फरमाया जावे । उक्त वादपत्र विचारण न्यायालय में दिनांक 01.09.2015 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आगामी तारीक पेशी 09.12.2015 नियत की गई दिनांक 09.12.2015 को अपीलांट की ओर से अधिकार पत्र प्रस्तुत किया गया व जवाब हेतु अवसर

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

चाहा गया। आगामी तारीक पेशी वास्ते तामील प्रतिवादी संख्या 3 एवं जवाब हेतु आगामी तारीक पेशी 20.01.2016 नियत की गई व उक्त प्रकरण को दिनांक 01.06.2016 को लोक अदालत में नियत किया जाकर अपीलांटगण/प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में डिक्री पारित की गई।

कि अपीलांटगण/प्रतिवादीगण ने विचारण न्यायालय द्वारा लोक अदालत के तहत पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 01.06.2016 के विरूद्व अपील प्रस्तुत की जो दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया जो जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल पत्रावली की गई व उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस समायत की गई । अधीवक्ता अपीलांट का कथन रहा है कि अपीलांट/प्रतिवादीगण अधीनस्थ न्यायालय में जरिये अधिवक्ता दिनांक 09.12.2015 को उपस्थित हुए व जवाब हेतु अवसर चाहा व दिनांक 16.05.2016 तक अपीलांट जवाब के लिए अवसर लिया गया व उक्त पत्रावली आगामी तारीक पेशी 08.07.2016 जवाब हेतु नियत थी , उससे पूर्व ही उक्त पत्रावली को दिनांक 01.06.2016 को लोक अदालत में नियत कर दी गई जिसकी अपीलांटगण को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई , न ही अपीलांटगण लोक अदालत में उपस्थित हुए फिर भी लोक अदालत ने बिना जवाब दावा बन्द किये बिना साक्ष्य सबूत लिए रेस्पोडेन्ट वादीगण का वादपत्र प्रमाणित होना मानते हुए वादपत्र डिक्री कर दिया गया जो निरस्त किया जावे।

अधीवक्ता रेस्पोडेन्ट ने बहस में निवेदन किया कि विवादित संपत्ति रेस्पोडेन्ट वादीगण की पैतृक होकर रेस्पोडेन्ट वादीगण का हक व हिस्सा निहित है जिससे अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट वादीगण का वादपत्र डिक्री किए जाने में कोई त्रुटी नहीं की है।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया, पत्रावली वास्ते जवाबदावा एवं प्रतिवादी संख्या 4 की तामील हेतु 08.07.2016 नियत थी इससे पूर्व ही उक्त पत्रावली दिनांक 01.06.2016 को लोक अदालत में नियत कर दी व अपीलांट प्रतिवादी की अनुपस्थिति में मात्र वादीया संख्या 2 नारायणी की उपस्थिति बताकर वादपत्र प्रमाणित होना मानकर वादपत्र डिक्री कर दिया व लोक अदालत में सभी पक्ष उपस्थित नहीं हुए और न ही लिखित में कोई राजीनामा प्रस्तुत हुआ है जिससे अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री जो लोक अदालत के तहत पारित की गई है जो सर्वथा न्यायोचित नहीं है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय उपखण्ड अधीकारी गंगरार द्वारा प्रकरण संख्या 96/2015 वाद लोक अदालत के तहत पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.06.2016 निरस्त की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधीसम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 01.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ भिजवाई जावे।

(चावण्डदान चारण)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
चित्तौड़गढ़